

परिशिष्ट

(देखिए नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण—~~सिमलवाटी से गैर मोटरमार्ग का निर्माण~~

- a) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत
गैर गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।
संलग्न है
- b) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
- c) परियोजना की लागत
- d) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य
रु० 321.07 लाख
ग्राम वार को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु निर्मित
होने वाले इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिये
आरक्षित वन भूमि व सिविल सोयम वन भूमि
अधिग्रहण करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प
नहीं है।
संलग्न है।
- e) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
- f) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण—

आरक्षित वन भूमि 0.7700 है० सिविल सोयम वन
भूमि 3.3950 है० वन भूमि प्रयोग की जायेगी।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है—

उक्त निर्माण कार्य से कोई भी परिवार
प्रभावित नहीं होगा।

- a) परिवारों की संख्या
लागू नहीं।
- b) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की सं०
लागू नहीं।
- c) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
- d) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक
है।
है।
- e) प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचन और या दण्ड स्वरूप
प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा
तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
- f) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।
संलग्न है।

दिनांक 31.12/20 14

स्थान: पुरोला।

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

photo copy attested



Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purala (Uttarakashi)